न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या : 8 / 2025
GCMS NO:- 2025/42

दायर दिनांक: 17.02.2025
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

सांवली बाई पत्नी शोपाल जाति मीणा नि0 गणेशपुरा तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीया–

बनाम

1. बाबूडी पुत्री मोतीलाल जाति मीणा नि0 बंसोली हाल पत्नी मीठालाल जाति मीणा नि0 ऊम तहसील व जिला टोंक।
2. भूरी बाई पत्नी मोतीलाल जाति मीणा नि0 बंसोली तहसील नैनवॉ।
3. रामचीज आ0 मोतीलाल जाति मीणा नि0 बंसोली तहसील नैनवॉ।
4. रामराज आ0 मोतीलाल जाति मीणा नि0 बंसोली तहसील नैनवॉ।
5. भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर।
अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक सिंह सिसोदिया।

निर्णय दिनांक 29.09.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बंसोली तहसील नैनवॉ की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 284 पुराना 250 की खसरा संख्या 243 रकबा 0.3236 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 245 रकबा 0.4045 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीया की खातेदारी भूमि है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 245 पर आने जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम गणेशपुरा से गाडरिया जाने वाले रास्ते से फटकर खसरा संख्या 275 मे खसरा संख्या 275 की उत्तरी मेड के सहारे होता हुआ खसरा संख्या 245 पर पहुंचता है। उक्त रास्ता करीबन 14 फीट चौडा है जिसमे होकर प्रार्थीया अपने ट्रेक्टर, हल, कूली आदि कृषि यंत्रों को लेकर आवागमन कर रही है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे जाने का अन्य कोई रास्ता नही है।

यह कि परिशिष्ट अ मे दर्शित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे तरमीम नही होने के कारण प्रत्यार्थीगण के मन बदयान्ति आ गई और प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 व परिशिष्ट अ मे वर्णित रास्ते को बंद करने की धमकियां दे रहे है और कहते है कि तुम्हारे रास्ते को तो बंद करके ही रहेंगे और तुम्हे किसी भी कीमत पर इस रास्ते पर होकर आवागमन नही करने देंगे। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक सिंह सिसोदिया द्वारा दिनांक 27.08.2025 को वकालातनामा पेश कर दिया गया था तथा आज दिनांक 29.09.2025 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 01.07.2025 से प्राप्त हो चुकी है।

बहस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष सूनी गयी। प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बंसोली स्थित प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 245 पर आने जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम गणेशपुरा से गाडरिया जाने वाले रास्ते से फटकर खसरा संख्या 275 मे खसरा संख्या 275 की उत्तरी मेड के सहारे होता हुआ खसरा संख्या 245 पर पहुंचता है। उक्त रास्ता करीबन 14 फीट चौडा है जिसमे होकर प्रार्थीया अपने ट्रेक्टर, हल, कूली आदि कृषि यंत्रों को लेकर आवागमन कर रही है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे जाने का अन्य कोई रास्ता नही है अतः उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाया जावे जिसके लिए प्रार्थीया प्रतिकर राशि भी जमा करवाने हेतु तैयार है। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4

अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया सदैव से खसरा संख्या 280, 235, 277 व 276 मे होकर आ रही है और उक्त रास्ता वर्तमान मे चालू है। तथा सुगमता के आधार पर भी उक्त रास्ता मौके पर मौजूद होने से अन्य रास्ता मांगने का प्रार्थीया को कोई अधिकार नही है, महज प्रत्यार्थीगण को नाजायज तंग परेशान करना चाहते है तथा प्रार्थीया की भूमि पर जाने के लिए रास्ता मोजूद होने से अन्य रास्ता प्राप्त करने का प्रार्थीया को कोई अधिकार नही है इसलिए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित मे खारिज होने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो, तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 245 पर जाने के लिए ग्राम गणेशपुरा से गाडरिया जाने वाला पगडंडीनुमा रास्ता जो अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 275 के मध्य मे से होकर निकला हुआ है, उस रास्ते से प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर 275 के उत्तर मे होकर रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट मे एक वैकल्पिक रास्ता प्रस्तावित किया है जो चाहे गए रास्ते से निकटतम भी है लेकिन उक्त वैकल्पिक रास्ते से प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 245 मे पहुंचने पर खसरा नम्बर 246 जो कि प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ते पर आ रहा है, से रास्ता दिया जाना न्यायालय उचित नही समझता तथा उसके अतिरिक्त प्रार्थीया की भूमि पर जाने का कोई अन्य रास्ता नही होने से प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र मे चाहे गए रास्ते को दिया जाना न्यायालय उचित समझता है अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 245 पर जाने के लिए ग्राम गणेशपुरा से गाडरिया जाने वाले रास्ते से फटकर पश्चिम दिशा मे अप्रार्थीयान की भूमि खसरा नम्बर 275 की उत्तरी पश्चिमी मेड मे से सहारे सहारे होता हुआ निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट **क** नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः—

ख0 नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई	X	चौडाई	क्षेत्रफल
275	बाबूडी वगै0	बारानी A	54 गट्ठा	X	2 गट्ठा	108 वर्गगट्ठा
	(खातेदारी)		356 फीट	X	13 फीट	4628 वर्गफीट

अर्थात 0.0430 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 108 वर्गगट्ठा या 4628 वर्गफीट या 0.0430 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवा

परिशिष्ट – 5

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतलिपि)

दिनांक : 25/06/2025 03:11:40 PM

जिला :बूँदी

तहसील : नैनवा

भू. अ. नि. क्षेत्र :देई

तहसील :बंसोली

ग्राम : बंसोली

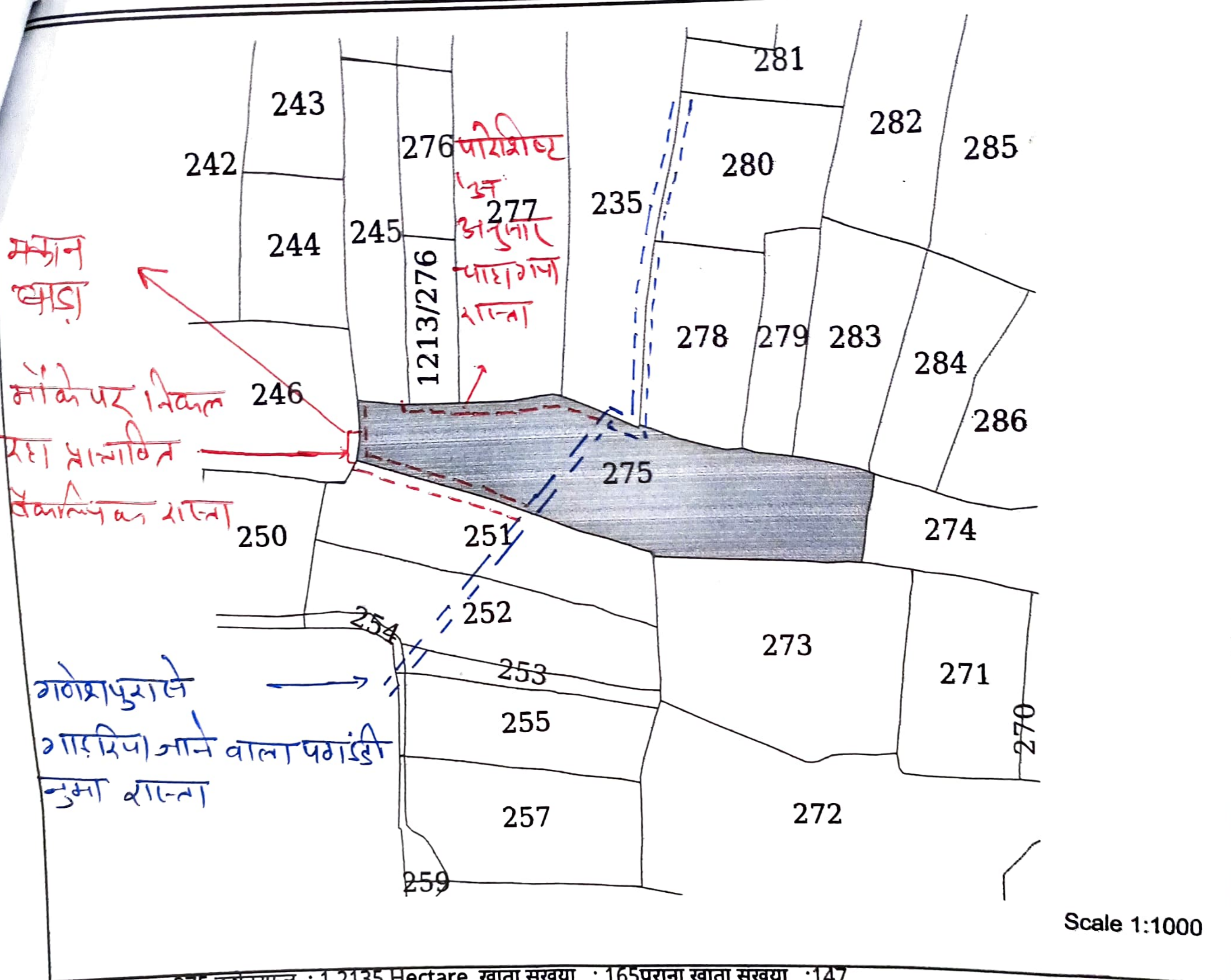

खसरा सख्या :275 क्षेत्रफल : 1.2135 Hectare खाता सख्या : 165पुराना खाता सख्या :147

भूमि किस्मि[क्षेत्रफल लगान]: बारानी A [1.2135, 11.25]

1.) बाबुडीबाई पुत्री मोती हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा देई मु.व.कि.

2.) भूरीबाई पत्नी स्व. मोती हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा देई मु.व.कि.

3.) रामचीज पुत्र मोती हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा देई मु.व.कि.

4.) रामराज पुत्र मोती हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा देई मु.व.कि.

211
25/6/025

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

25/6/025

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बूंदी)